

तारीख
हुक्म

हुक्म या कायवाहा मय इनाशयल्स जज

पाना इम

24.07.2024:-पत्रावली पेशी मे ली गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया वादी व प्रतिवादी वकील द्वारा वाद पत्र मे कोई कार्यवाही नही चाही जा रही है वादी व प्रतिवादी अधिवक्ता को पूर्व पेशी 09.10.2023 को अंतिम अवसर दिया गया था उसी अनुसार वादी व प्रतिवादी अधिवक्ता को बार-बार आवाज लगाई गई। आवाज लगाने के उपरान्त भी असालतन/वकालतन उपस्थित नही आये। वादी व वादी अधिवक्ता के उपस्थित नही आने के कारण वाद पत्र वादी अदम पैरवी/अदम हाजरी के आधार पर खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तकमील दाखिल दफतर हो।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

